

का पत्र हा/५/५

२३/४/२५

पत्रावली पेक्षा दुई। वादी मय कथिनेवस्ता उपास्थित  
गरी। विपिनत आवज लगाने पर भी वादी व  
इतके कथिनेवस्ता न्यायालय में उपास्थित नहीं  
दुरा कालः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम  
पैरवी में खारीज किया जाता है।

५/५

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला नीलवाड़ा